

नई चेतना-पहल बदलाव की

प्रलम्बिस् के लयि:

नई चेतना अभयान, कुदुम्बशरी मशिन, राषुटरीय ग्रामीण आजीवकिा

मेन्स के लयि:

नई चेतना अभयान, कुदुम्बशरी मशिन, राषुटरीय ग्रामीण आजीवकिा, लगी आधारति हसिा के कारण, लगी आधारति हसिा को समाप्त करने के उपाय

चरुा में क्युँ?

हाल ही में शहरी वकिसा मंत्रालय ने "नई चेतना-पहल बदलाव की" लगी आधारति भेदभाव के खलिाफ समुदाय-नेतृत्व वाला राषुटरीय अभयान शुरु कयिा है।

- केरल ने भी इसी प्रकार की पहल कुदुम्बशरी मशिन के तहत अभयान शुरु कयिा।

नई चेतना-पहल बदलाव की, अभयान

- परचिय:**
- यह चार सप्ताह का अभयान है, जसिका उद्देश्य महिलाओं को हसिा को पहचानने और रोकने एवं उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लयि तैयार करना है।
 - गतविधियुँ 'लैंगकि समानता और लगी आधारति हसिा' के वषिय पर केंद्रति ह्युँगी।
- लक्ष्य:**
- यह एक वारुषकि अभयान ह्युँगा जो प्रत्येक वर्ष वशिषुट लैंगकि मुद्दों पर ध्यान केंद्रति करेगा। इस वर्ष अभयान का लक्ष्य लगी आधारति हसिा है।
- कार्यानवयन एजेंसी:**
- यह अभयान सभी राज्युँ द्वारा नागरकि समाज संगठनों (Civil Society Organisations- CSO) के भागीदारुँ के सहयुँग से लागू कयिा जायगा और राज्युँ, ज़िलुँ एवं ब्लुँकुँ सहति सभी स्तरुँ पर सक्रयि रूप से करयानवति कयिा जायगा, जसिमें वसुतारति समुदाय के साथ सामुदायकि संसुथानुँ को शामिल कयिा जायगा।
- महत्त्व:**
- अभयान हसिा के मुद्दुँ को सवीकार करने, पहचानने और संबोधति करने हेतु ठुस प्रयास करने के लयि सभी संबंधति वभिागुँ एवं हतिधारकुँ को एक साथ लायगा।

कुदुम्बशरी मशिन

- यह केरल सरकार के राज्य गरीबी उन्मूलन मशिन (State Poverty Eradication Mission- SPEM) द्वारा कार्यानवति गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है।
- मलयालम भाषा में कुदुम्बशरी नाम का अरुथ है 'परवार की समृद्धि'। यह नाम 'कुदुम्बशरी मशिन' या SPEM के साथ-साथ कुदुम्बशरी सामुदायकि नेटवरक का प्रतनिधित्व करता है।

राषुटरीय ग्रामीण आजीवकिा मशिन



परिचय:

- इसे "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission- DAY-NRLM)" के रूप में जाना जाता है।
- यह जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया केंद्र प्रयोजित कार्यक्रम है।
- सरकार ने प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति की सिफारिश को स्वीकार कर वित्त वर्ष 2010-11 में "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)" को "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)" में पुनर्गठित किया।

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।

उप-योजनाएँ

- महिला कृषि सशक्तीकरण परियोजना:
 - कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये जो महिला किसानों की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी इनपुट लागत और जोखिम को कम करते हैं, यह मिशन महिला कृषि सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) को लागू कर रहा है।
- स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना:
 - यह अपनी गैर-कृषि आजीविका रणनीति के भाग के रूप में DAY-NRLM स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY) कार्यान्वित कर रहा है।
 - SVEP का उद्देश्य स्थानीय उद्यमों की स्थापना के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है।
 - AGEY को अगस्त 2017 में शुरू किया गया था, जो दूरदराज के ग्रामीण गाँवों को जोड़ने के लिये सुरक्षा, सस्ती और सामुदायिक नगिरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएँ प्रदान करता है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना:
 - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के प्लेसमेंट से जुड़े कौशल का निर्माण करना और उन्हें अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत उच्च मजदूरी वाले रोजगार क्षेत्रों में रखना है।
- ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान:
 - 31 बैंकों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में, ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार लेने के लिये कुशल बनाने के लिये ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों (RSETIs) को सहायता प्रदान कर रहा है।

लगाव आधारित हिसा के प्रमुख कारण:

सामाजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक कारण:

- भेदभावपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक मानदंड और प्रथाएँ महिलाओं और लड़कियों को हाशिए पर डालती हैं और उनके अधिकारों का सम्मान करने में वफिल रहती हैं।
- लैंगिक रूढ़ियों का उपयोग अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिसा को सही ठहराने के लिये किया जाता है। सांस्कृतिक मानदंड अक्सर यह तय करते हैं कि पुरुष आक्रामक, नयितरति और प्रमुख हैं, जबकि महिलाएँ वनिमर, अधीन हैं, और प्रदाताओं के रूप में पुरुषों पर भरोसा करती हैं। ये मानदंड दुरुपयोग की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं।
- परिवार, सामाजिक और सांप्रदायिक संरचनाओं का पतन और परिवार के भीतर बाधित भूमिकाएँ अक्सर महिलाओं और लड़कियों को जोखिम में डालती हैं और सुरक्षा और नविवरण के लिये तंत्र और अवसरों को सीमित करती हैं।

व्यक्तिगत बाधाएँ:

- सामाजिक कलंक, अलगाव और सामाजिक बहिष्कार का खतरा या डर तथा आने वाले समय में अपराधी, समुदाय, या अधिकारियों के हाथों गरिफ्तारी, हरिसत में लिये जाना, दुरुव्यवहार और सज़ा हिसा का शिकार होने की धमकी या डर शामिल है।
- मानवाधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रभाव:

- यह महिलाओं के स्वास्थ्य के सभी पहलुओं-शारीरिक, यौन और प्रजनन, मानसिक और व्यावहारिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार यह उन्हें उनकी पूरी क्षमता का एहसास होने से वंचित करता है।
- हिंसा और संबंधित धमकी महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के कई रूपों में सक्रिय तथा समान रूप से भाग लेने की क्षमता को प्रभावित करती है।
- कार्यस्थल पर उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तथा उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर प्रभाव पड़ता है।
- यौन उत्पीड़न महिलाओं के शैक्षिक अवसरों और उपलब्धियों को सीमित करता है।

लगा आधारित हिंसा को खत्म करने के लिये आवश्यक कदम:

- लगा आधारित हिंसा (Gender Based Violence- GBV) को समाज, सरकार और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से समाप्त किया जा सकता है।
- लगा आधारित हिंसा को पहचानने और पीड़ितों की पहचान कर उससे संबंधित आवश्यक कदम उठाने के लिये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना पीड़ितों की सहायता करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है।
- GBV को दृश्यमान बनाने, वज्रापन समाधानों, नीति-निर्माताओं को सूचित करने और जनता को कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और GBV को पहचानने और इसे रोकने के लिये मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
- शिक्षा: स्कूल, GBV को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित पाठ्यक्रम, यौन शिक्षा, स्कूल परामर्श कार्यक्रम और स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा हिंसा को रोका जा सकता है।
- कई अध्ययनों से पता चला है कि GBV को रोकने के लिये इसकी पहचान, समाधान और संबंधित कार्यप्रणाली में सभी समुदायों को शामिल करना इसे रोकने के बेहतर तरीकों में से एक है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के वरिद्ध वदियमान वधिकि उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। (2014)

स्रोत: द हिंदू